108

समक्ष न्यायालय –श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर, जिला – ग्वालियर (म0.प्र0)

अपील – 4746/2018/कटनी/भू.रा.

द्वितीय अपील प्रकरण कमांक – /2018

1. ग्राम सचिव – मुहांस
   ग्राम पंचायत मुहांस
   सुरेश कुमार लोधी आत्मज श्री लल्लूलाल लोधी
   आयु लगभग 35 वर्ष,
   निवासी – ग्राम मुहांस, तहसील रीठी, जिला कटनी म0प्र0
2. रामनाथ लोधी आत्मज श्री रामदास लोधी,
   आयु लगभग– 47 वर्ष,
   सरपंचच ग्राम पंचायत मुहांस
   तहसील रीठी, जिला कटनी म0प्र0
3. गजेन्द्र सिंह आत्मज श्री गोपाल सिंह,
   आयु लगभग– 50 वर्ष,
   समिति सदस्य, ग्राम पंचायत मुहांस
   तहसील रीठी, जिला कटनी म0प्र0
4. जानकी प्रसाद पटेल आत्मज श्री स्व. श्यामले लोधी आयु लगभग 66 वर्ष,
   समिति सदस्य, ग्राम पंचायत मुहांस
   तहसील रीठी, जिला कटनी म0प्र0

अपीलार्थीगण

विरूद्व

1. सुशील कुमार पटेल आत्मज श्री मथुरा प्रसाद पटेल,
   अध्यक्ष – लालजी महाराज जनकल्याण समिति, संकटमोचन मंदिर,
   ग्राम पंचायत मुहांस, तहसील रीठी, जिला कटनी म0प्र0
2. अवधेश कुमार दुबे आत्मज श्री दिलबहार दुबे
   प्रधान पुजारी (सचिव), लालजी महाराज जनकल्याण समिति, संकटमोचन मंदिर,ग्राम पंचायत मुहास, तहसील रीठी, जिला कटनी म0प्र0
3. सरमन लाल पटेल आत्मज श्री अधारीलाल पटेल,
   पंडा (कोषाध्यक्ष), लालजी महाराज जनकल्याण समिति, संकटमोचन मंदिर,ग्राम पंचायत मुहांस, तहसील रीठी, जिला कटनी म0प्र0
4. सोनेलाल पटेल आत्मज श्री सुमेरा पटेल
   उपाध्यक्ष– लालजी महाराज जनकल्याण समिति, संकटमोचन मंदिर,ग्राम पंचायत मुहांस, तहसील रीठी, जिला कटनी म0प्र0

5. नंदूराम पटेल आत्मज श्री भाईलाल पटेल ,
सदस्य – लालजी महाराज जनकल्याण समिति, संकटमोचन मंदिर,ग्राम पंचायत मुहांस, तहसील रीठी, जिला कटनी म0प्र0
6. सीताराम लोधी आत्मज श्री पुनऊराम लोधी,
सदस्य– लालजी महाराज जनकल्याण समिति, संकटमोचन मंदिर,ग्राम पंचायत मुहांस, तहसील रीठी, जिला कटनी म0प्र0

उत्तरार्थीगण

अपील अन्तंर्गत धारा 44 (2)(3) भूराजस्व संहिता, 1959

उपर नामित अपीलार्थीगण, द्वितीय अपील माननीय मण्डल के समक्ष निम्न लिखित आदेश से पीड़ित एंव विक्षुब्ध होकर निम्न लिखित आधारों पर प्रस्तुत करते है –––––

मेमोरेण्डम आफ अपील

यह कि अपीलार्थीगण, उत्तरार्थीगणों के द्वारा माननीय न्यायालय अपर आयुक्त, जबलपुर, संभाग जबलपुर, म0प्र0, डा0 श्रीनिवास शर्मा के न्यायालय मे प्रस्तुत प्रथम अपील मे पारित आदेश दिनांक 22.06.2018 को पारित आलोच्य आदेश से विक्षुब्ध एंव पीड़ित होकर, यह द्वितीय अपील निम्न लिखित आधारों पर प्रस्तुत करते है।

अपील के तथ्य

1. यह कि, ग्राम मुहांस तहसील रीठी, जिला – कटनी मे प्रसिद्ध सार्वजनिक श्री हनुमानजी महाराज जी मंदिर स्थित है ।

2. यह कि उपरोक्त मंदिर अपीलार्थी कं. 4 जानकी प्रसाद पटेल के निजी स्वामित्व की भूमि पर स्थित है जिसका खसरा कं. 825 रक्वा 0.020 आरे है। अपीलार्थी कं. 4 के द्वारा धार्मिक किया कलापों मे सहयोग प्रदान किया जाता है परन्तु उत्तरार्थी गणों के द्वारा उक्त भूमि व मंदिर का अवैधानिक प्रयोग कर धन अर्जित कर निजी उपयोग मे लिया जा रहा है।

3. यह कि उपरोक्त मंदिर हेतु श्रीमान कलेक्टर महोदय कटनी का नाम राजस्व अभिलेखों मे बतौर प्रबंधक दर्ज है तथा श्रीमान कलेक्टर महोदय का नाम धार्मिक अभिदाय अधिनियम 1863 के प्रावधानों के तहत दर्ज है।

4. यह कि उपरोक्त मंदिर मे उत्तरार्थीगणों के द्वारा बहुत लम्बे समय से आर्थिक अनियमितता तथा घोर मनमानी का कार्य किया जा रहा था तथा गलत प्रकार से आर्थिक लाभ अर्जित कर अपने जेब भरे जा रहे थे तथा इसमे प्रमुख भूमिका उत्तरार्थी कं0 2 व 3 निभा रहे थे तथा उनके द्वारा करोड़ों रूपये अर्जित किये गये है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक अपील 4746/2018/कटनी/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
09–8–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री शहनवाज खान उपस्थित। उनके द्वारा यह अपील अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 1016/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 22–06–2018 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 (2) (3) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–प्रकरण के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रथम अपील अपर कलेक्टर जिला कटनी के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी जो प्रकरण क्रमांक 9/अपील/बी–121/मंदिर ट्रस्ट/2017–18 एवं आर0सी0एम0एस0 प्रकरण क्रमांक 0093/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 31.3.18 के विरूद्व द्वितीय अपील अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसका प्रकरण क्रमांक 1016/अपील/2017–18 है जिसमें पारित आदेश दिनांक 22–06–2018 किया गया है। इसी आदेश से परिवेदित होकर इस न्यायालय में तृतीय अपील प्रस्तुत की गई है। म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में तृतीय अपील का प्रावधान नही होने से यह प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं है। अतः तृतीय अपील प्रचनलन योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर अग्राह की जाती है। सदस्य	